प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

[1/3/2016]

परिशिष्ट 'पैंतीस'

प्रश्न सं. [क्र. 3210]

आदिमजाति कल्याण विभा

मंत्रालय–भोपाल

परिशिष्ट-ए

क्रमांक / 15/17/14/2-25 भोपा नवरी 2015

::आदेश::

प्रशासनिक कार्य एवं सुविधा की दृष्टि से आदिमजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 275(1) तथा आदिवासी उपयोजना विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत परियोजना सलाहकार मण्डल/जिला योजना समिति की उप समिति "आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण" के द्वारा स्वीकृत कार्यों में यदि स्थान परिवर्तन/कार्यों में परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो उसके लिए एतद् द्वारा कलेक्टर, को अधिकृत किया जाता है।

कलेक्टर परियोजना सलाहकार मण्डल/जिला योजना समिति की उप समिति "आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण" की सलाह पर कार्यों का स्थान परिवर्तन अथवा कार्यों में परिवर्तन कर सकेंगे।

(बी.आर.नायडू)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
आदिम जाति कल्याण विभाग,
मंत्रालय,भोपाल

6 JAN 2015

पृ.क्रमांक/ 15/17/14/2-25 भोपाल,दिनांक 6 जनवरी 2015

प्रतिलिपि:–

1 निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2 आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3 संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनायें, भोपाल।
4 समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5 समस्त संभागीय उपायुक्त, आदिम जाति तथा अनु. जाति कल्याण, मध्य प्रदेश।
6 समस्त परियोजना प्रशासक/अधिकारी, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7 समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्य प्रदेश।
8 समस्त जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, मध्य प्रदेश।

APO(B)

07/01/2015

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
आदिम जाति कल्याण विभाग,

543
07.1.15

संचालनालय, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएँ
सतपुड़ा भवन,भोपाल
E-mail - dirtadp@ mp.gov.in FAX- 0755-2551569

पृ.क्रमांक / 275(1) / 60 / 5560 भोपाल, दिनांक 19 जनवरी, 2015

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय, भोपाल की सूचनार्थ।
3. संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था, मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
4. आयुक्त, आदिवासी विकास / अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. समस्त कलेक्टर,जिला (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. अपर संचालक, मुख्यालय, आ.जा.क्षे.वि.यो. भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
7. अपर संचालक, विशेष पिछड़ी जनजाति समूह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. उपायुक्त (अनुश्रवण), स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ ।
9. संभागीय उपायुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, संभाग (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. परियोजना प्रशासक / अधिकारी, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, जिला (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. समस्त जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. निज सचिव, संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
14. गार्ड फाईल मुख्यालय हेतु ।

(डॉ. एस.एस. भण्डारी)
अपर संचालक,
आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएँ,
भोपाल

D:\com-9\desktop\KUMAR\AK-2.doc

मध्यप्रदेश शासन,
आदिम जाति कल्याण,
मंत्रालय भोपाल

63
क्रमांक / 116 / 2016 / 3–25 भोपाल, दिनांक 25/1/16

–आदेश–

विभाग के आदेश क्रमांक / आर–14 / 17 / 14 / 3–25 दिनांक 6 जनवरी 2015 व्दारा संविधान के अनुच्छेद 275(1) तथा आदिवासी उपयोजना विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो में स्थान परिवर्तन / कार्यो में परिवर्तन किये जाने का अधिकार कलेक्टर को सौंपा गया है. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये केवल विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत कार्यो में स्थान परिवर्तन किये जाने हेतु कलेक्टर को अधिकृत किया जाता है।

प्रोजेक्ट्स के कार्यो में परिवर्तन किये जाने हेतु पूर्ण औचित्य एवं अभिमत सहित प्रस्ताव परियोजना सलाहकार मण्डल / जिला योजना समिति की उप समिति "आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण" से अनुमोदन उपरांत संचालनालय आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं भोपाल के माध्यम से शासन को प्रस्तुत किये जायेगे।

(डी.किरण गोपाल)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
आदिम जाति कल्याण विभाग,
मंत्रालय भोपाल

पृ. क्रमांक 64 / 116 / 2016 / 3–25 भोपाल, दिनांक 25/1/16
प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, आदिम जाति कल्याण विभाग ।
2. आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश भोपाल ।
3. संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनायें, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश ।
5. समस्त संभागीय उपायुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण मध्यप्रदेश ।
6. समस्त परियोजना प्रशासक / परियोजना अधिकारी, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना मध्यप्रदेश ।
7. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश ।
8. समस्त जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
आदिम जाति कल्याण विभाग,